भारत | INDIA

USCIRF– RECOMMENDED FOR COUNTRIES OF PARTICULAR CONCERN (CPC)

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (USCIRF) अमेरिकी संघीय सरकार का एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय निकाय है जो विदेश में धार्मिक या आस्था की स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर निगरानी रखता है। इसकी स्थापना 1998 अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) द्वारा की गई थी, USCIRF विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रयोग करता है एवं राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है। USCIRF यू.एस. विदेश मंत्रालय से पृथक एक स्वतंत्र निकाय है। 2020 की वार्षिक रिपोर्ट कमिश्नर और पेशेवर स्टाफ द्वारा जमीनी तौर पर हुए इन उल्लंघनों को दस्तावेजीकृत करने के एक वर्ष के काम के समापन और अमेरिकी सरकार को स्वतंत्र नीतिगत अनुशंसाएं देने को दर्शाती है। 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के मामले शामिल हैं, हालांकि कुछ मामलों में इस समयावधि के पहले और बाद घटी घटनाओं को भी शामिल किया गया है। USCIRF के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट यहां देखें, या USCIRF से सीधे 202-523-3240 पर संपर्क करें।

प्रमुख परिणाम

2019 में, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता स्थितियों ने भारी गिरावट का अनुभव किया, जब धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अधिक हमले होने लगे। मई में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पुनर्निर्वाचन के पश्चात, राष्ट्रीय सरकार ने समस्त भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाली राष्ट्र-स्तरीय नीतियों को स्थापित करने के लिए अपनी सशक्त संसदीय बहुमत का प्रयोग किया, विशेषतः मुस्लिमों के लिए। राष्ट्रीय सरकार ने बिना किसी को दंड दिए अल्पसंख्यकों और उनके पूजनीय स्थलों के विरुद्ध हिंसा होने दी, और अभद्र भाषा का प्रयोग करने और हिंसा को शह देने में शामिल हुई और ऐसा होने दिया।

उल्लेखनीय ढंग से, बीजेपी-नेतृत्वित सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को कानूनन रूप दिया–पहले से ही भारत में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागिकरता देने का एक शीघ्र ढंग–और राष्ट्र-स्तरीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) की तरफ पहले कदम के रूप में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को स्वीकृति दी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत बॉर्डर राज्य असम ने असम के अंदर गैर-कानूनी प्रवासियों की पहचान करने के लिए राज्य-स्तरीय NRC को लागू किया। जब अगस्त में राज्य-स्तरीय NRC प्रदर्शित किया गया था, तो 1.9 मिलियन नागरिकों–दोनों मुस्लिमों और हिंदूओं–को बाहर किया गया था। बाहर निकाले गए व्यक्ति बुरे परिणामों के डर में रहते हैं:संयुक्त राष्ट्र (UN) के तीन विशेष प्रतिवेदकों ने सावधान किया था कि NRC से बाहर निकाले जाने का परिणाम "राष्ट्रियताहीनता, देश-निकाला, या दीर्घकालीन कैद हो सकता है।" निस्संदेह, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवासियों को "दीमक" कहा था जिन्हें निकाला जाना चाहिए। इस बात से परेशान कि असम की NRC में से हिंदू निकाले गए थे, इन्होंने और अन्य बीजेपी अधिकारियों ने हिंदूओं की सुरक्षा करने के लिए CAA का एक सुधारात्मक उपाय के रूप में समर्थन किया। CAA सूचीबद्ध गैर-मुस्लिम धार्मिक समुदायों को उनकी नागरिकता को पुन: बहाल करने और कैद या देश-निकाला से बचने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। इसके मद्देनज़र, BJP लीडरों ने राष्ट्र-स्तरीय NRC का समर्थन करना जारी रखा है; लाखों की नागरिकता प्रश्न के अधीन आ जाएगी, लेकिन, CAA के लागू होने से, अकेले मुस्लिम संभावित राष्ट्रियताहीनता का अपनाम और परिणाम सहेंगे।

दिसंबर में CAA के पास किए जाने पर समस्त भारत में प्रतिवाद हुए जिसके परिणामस्वरूप पुलिस और सरकार-सहायक समूहों को हिंसा का सामना करना पड़ा; उत्तर प्रदेश (UP) में, BJP के मुख्य मंत्री योगी अदित्यानाथ ने सीएए-विरोधी प्रतिवादियों से "बदला" लेने का वादा किया और कहा कि उन्हें "बरियानी की जगह गोलियाँ खिलाई जानी चाहिए।" दिसंबर में, अकेले UP में लगभग 25 व्यक्ति प्रतिवादियों के विरुद्ध हमलों और विश्वविद्यालयों में मर गए। सूचनाओं के अनुसार, पुलिस ने विशेषकर मुस्लिमों को निशाना बनाया।

समस्त 2019 में, सरकारी कार्यवाही–CAA के सहित, ने गौ हत्या और धर्म-परिवर्तन विरोधी कानूनों को लागू करना जारी रखा, और बाबरी मस्जिद स्थल पर सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर के निर्णय–ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध राष्ट्र-स्तरीय शोषण और हिंसा की मुहिमों के प्रति सहनशीलता की सभ्यता का निर्माण किया। अगस्त में, सरकार ने मुस्लिम-बहुमत वाले राज्यों जम्मू और कश्मीर के स्वराज्य को भी छीन लिया और धार्मिक स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले प्रतिबंध लगाए। गौ हत्या या गौ-मास खाने के संदेह के अधीन व्यक्तियों का सामूहिक अपहनन जारी रहा, और अधिकांश हमले बीजेपी-शासित राज्यों में हुए। अपहनन करने वाले समूहों ने अक्सर स्पष्ट हिंदू राष्ट्रवादी लहज़ों का प्रयोग किया। जून में, झारखंड में, एक गिरोह ने एक मुस्लिम, तबरेज अंसारी पर "जय श्री राम" का कीर्तन करने के लिए दबाव डालते हुए आक्रमण किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अक्सर हमला करने वालों की बजाय उन लोगों को गिरफ्तार करती है जिन पर गौ हत्या या धर्म-परिवर्तन गतिविधियों के कारण हमला हुआ हो। ईसाइयों के विरुद्ध भी हिंसा में बढ़ोतरी

हुई, जिसमें कम से कम 328 हिंसक घटनाएँ अक्सर जबरन धर्म-परिवर्तन के आरोपों के कारण हुई हों। इन हमलों ने अक्सर अराधना सेवाओं को निशाना बनाया और इनके परिणामस्वरूप बड़े स्तर पर चर्च बंद किए गए या तहस-नहस किए गए।

2018 में, सर्वोच्च न्यायाल्य ने केंद्रीय और राज्य सरकारों को अधिक कठोर कानूनों के साथ अपहनन की घटनाओं का मुकाबला करने का अनुरोध किया। जब, जुलाई 2019 तक, केंद्रीय सरकार और 10 राज्य उचित कार्यवाही लेने में असफल रहे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ऐसा करने के लिए दुबारा निर्देश दिए। अनुपालन करने की बजाय, गृह मंत्री शाह ने मौजूदा कानूनों को अपर्याप्त बताया और अपहनन की घटनाओं में बढ़ोतरी को झूठा ठहराया, जबकि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड कार्यालय को 2019 की अपराध डेटा रिपोर्ट में से अपहनन की घटनाओं को निकालने के निर्देश दिए।

2019 के दौरान, पक्षपाती नीतियों, विद्रोहजनक भाषा, और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा के लिए सहनशीलता ने गैर-हिंदू समुदायों में डर का माहौल बढ़ा दिया। रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात, भारत ने इस नकारात्मक पथ पर चलना जारी रखा। फरवरी 2020 में, दिल्ली में तीन दिनों की हिंसा भड़की जिस में गुडों ने मुस्लिम क्षेत्रों पर हमला किया। ऐसी सूचनाएँ थी कि गृह मंत्रालय के प्रभाव अधीन कार्य कर रही दिल्ली पुलिस इन हमलों को रोकने में असफल रही और यहाँ तक कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में हिंसा में भाग भी लिया। कम से कम 50 व्यक्ति मारे गए।

अमेरिकी सरकार के लिए अनुशंसाएं

- भारत को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) द्वारा परिभाषित सुनियोजित, निरंतर, और कट्टर स्वतंत्रता उल्लंघनों में शामिल होने और इन्हें होने देने के लिए "विशेष चिंता के देश" या CPC के रूप में चिन्हित करें;
- धार्मिक स्वतंत्रता का दुखदायक ढंग से उल्लंघन करने के लिए ज़िम्मेदार भारतीय सरकारी एजंसियों और अधिकारियों पर विशिष्ट धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों का हवाला देते हुए मानव अधिकार-संबंधित वित्तीय और वीज़ा अधिकारों के तहत उन व्यक्तियों की संपत्तियों को हड़पते हुए और/या संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए उन पर नियोजित प्रतिबंध लगाएँ;
- धार्मिक समुदायों, स्थानीय अधिकारियों, और पुलिस के साथ अमेरिकी दूतावास और काउंसल की सहभागिता को सशक्त करें, विशेषकर धर्म से उत्तेजित हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में; धार्मिक अल्पसंख्यकों, पूजनीय स्थलों, और अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने और धर्म-आधारित घृणा अपराधों का मुकाबला करने के लिए सामर्थ्य निर्मित करने के लिए भारतीय कानून अमल के साथ अमेरिकी साझेदारी को बढ़ाएँ; और
- अभद्र भाषा और हिंसा के लिए शह को चुनौती देने के लिए पुलिस के साथ भागीदारी करते हुए निरीक्षण और पूर्व चेतावनी प्रणाली को स्थापित करने हेतु सभ्य समाज का समर्थन करने के लिए फंडिंग आवंटित करें।

अमेरिकी कांग्रेस को चाहिए कि:

- वे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता स्थितियों और भारत के प्रति अमेरिकी नीति को चिन्हित करती सुनवाईयों को जारी रखे।

प्रमुख USCIRF स्त्रोत एवं गतिविधियाँ

- **सुनवाई:** नागरिकता कानून और धार्मिक स्वतंत्रता
- **प्रमाण:** जम्मू और कश्मीर का पूर्वापर संबंध (टॉम लेंटोस मानव अधिकार कमिशन के समक्ष)
- **संक्षेप में समस्या:** असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की धार्मिक स्वतंत्रता परिणाम
- **तथ्यशीट:** भारत में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम

पृष्ठभूमि

भारत की 79.8 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है, 14.2 प्रतिशत मुस्लिम है, 2.3 प्रतिशत ईसाई है, 1.7 प्रतिशत सिक्ख है, 0.7 प्रतिशत बौद्ध है, और 0.4 प्रतिशत जैन है; छोटे समूहों में ज़ोरास्ट्रियन (पारसी), यहूदी, और बहायस शामिल हैं। भारत का संविधान, इसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है–धर्म प्रचार करने के अधिकार के सहित। लेकिन, धार्मिक स्वतंत्रता "सार्वजनिक आदेश के अधीन है", सामाजिक "शांति" की सुरक्षा करने के लिए अधिकारों पर रोक लगाता हुआ एक अस्पष्ट कथन। इस विशिष्टता का प्रयोग 1977 के सर्वोच्च न्यायालय के मुक़दमे *रेव. स्टेनीस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य* में धर्म-परिवर्तन विरोधी कानूनों को सही सिद्ध करने के लिए किया गया था। बीजेपी ने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा,

या हिंदूत्व को प्रतिबिंबित करती हुई नीतियों को लागू करते हुए संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को चुनौती दी है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर

दिसंबर 2019 में, संसद ने CAA को पास कर दिया, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में पहले से रहने वाले गैर-मुस्लिमों प्रवासियों को धार्मिक उत्पीड़न से मुक्त हो रहे शरणार्थी समझते हुए उन्हें नागरिकता देने का रास्ता है। CAA राष्ट्र-स्तरीय NRC के मेल में और भी अधिक जटिल होगा, जो कि असम में राष्ट्र-स्तरीय NRC के बाद बनाया जा सकता था, और यह BJP के चुनाव-पत्र में उल्लिखित एक उद्देश्य है और BJP लीडरशिप की तरफ से इसके लिए बार-बार वादा किया जाता है। असम में NRC प्रक्रिया ने कई चिंताएं उठाईं: निधन परिवार खराब रिकॉर्ड रक्षा या निरक्षरता के कारण आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पाए। दस्तावेज़ होने पर भी, नागरिकों को छोटी-छोटी असंगतियों के कारण बाहर निकाल दिया गया; कईयों को शामिल किए गए रिश्तेदारों के समान दस्तावेज़ों का प्रयोग करने के बावजूद निकाल दिया गया। विदेशियों का ट्रिब्यूनल जो नागरिकता स्टेटस का निर्णय करता है, की इसके अल्पसंख्यक-विरोधी पक्षपात के लिए अलोचना की गई है। दिसंबर में, संसद ने नागरिकों के नागरिकता डेटा को इकट्ठा करने के लिए NPR को स्वीकृति दी। सरकार के कथनों के अनुसार और नागरिकता नियमों, 2003 के तहत, NPR–जो नागरिकों को "संदिग्ध नागरिक" चिन्हित करने और तहकीकात के अधीन रखे जाने की अनुमति देता है–राष्ट्र-स्तरीय NRC की तरफ पहला कदम है।

गौ हत्या कानून

हिंदू धर्म में, गाय को पवित्र माना जाता है। भारत के संविधान का 48 अनुबंध राज्यों को "गाय और बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए... कदम उठाने" के निर्देश देता है और 21 राज्य विभिन्न ढंगों से गौ हत्या करने को गैर-कानूनी मानते हैं। BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा गौ सुरक्षा का एक प्रमुख मुद्दे के रूप में प्रचार किया गया है। सोशल मीडीया पर अक्सर ही संगठित अपहनन गिरोहों ने गौ मास खाने, गौ हत्या करने, या हत्या के लिए गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिजाने के संदेह के अधीन अल्पसंख्यकों पर प्रहार किया है–जिनमें मुस्लिम, ईसाई, और दलित शामिल हैं। जब से बीजेपी 2014 में सत्ता में आई है, 100 से अधिक हमले हुए हैं, 98 प्रतिशत से अधिक ऐसे हमले 2010 के बाद हुए हैं। इन कानूनों के तहत, अक्सर अपहनन करने वालों की बजाये अपहनन के पीड़ितों को गिरफ्तार किया जाता है।

धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून

जबकि संविधान धर्म प्रचार के अधिकार की रक्षा करता है, 10 राज्यों में बल, लालच, प्रोत्साहन, या धोखाधड़ी का प्रयोग करते हुए धर्म परिवर्तित करने को गैर-कानूनी घोषित करने वाले धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून हैं, लेकिन कईयों कानूनों में स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे भाव है कि सहमति से धर्म-परिवर्तन करने पर भी प्रतिबंध हैं। 2019 में, बीजेपी-शासित हिमाचल प्रदेश ने जबरन धर्म-परिवर्तनों के लिए दंड बढ़ा दिया। अधिकारी धर्म-परिवर्तन गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से मुस्लिमों और ईसाइयों को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन, आज तक, जबरन धर्म-परिवर्तनों के कोई अपराध सामने नहीं आएं हैं। हिंदूत्व समूह अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना, घर वापसी नामक समारोह के माध्यम से बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करवाते हैं। धर्म-परिवर्तन विरोधी कानूनों से सशक्त और अक्सर पुलिस की मिलीभगत के साथ, हिंदूत्व समूह समस्त देश में ईसाइयों, मुस्लिमों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध शोषण, सामाजिक बहिष्करण, और हिंसा की मुहिमों का संचालन करते हैं। हिंदूत्व समूहों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर धर्म-परिवर्तन गतिविधियों के लिए हमलों के बाद, पुलिस अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों को गिरफ्तार करती है जिन पर हमला हुआ हो।

सितंबर 2019 में, गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान (विनियम) अधिनियम के तहत नए नियम लागू किए जिनके अनुसार गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) के सभी सदस्यों को इस बात की पुष्टि करने के लिए कि विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए "जबरन धर्म-परिवर्तन करवाने या सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन पर मुक़दमा नहीं चलाया गया है या उन्हें अपराधी नहीं माना गया है" हलफ़नामे पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। धार्मक निष्ठा-आधारित NGOs, विशेषकर ईसाई संस्थाओं ने डर जताया है कि यह उनकी गतिविधियों को सीमित करने के लिए है।

जम्मू और कश्मीर में धार्मिक स्वतंत्रता

अगस्त 2019 में, सरकार ने मुस्लिम-बहुमत वाले जम्मू और कश्मीर के स्वराज्य को छीन लिया और गतिविधियों और इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, इंटरनेट और फोन एक्सेस को काटने, और धार्मिक लीडरों के सहित कश्मीरी लीडरों को गिरफ्तार करने के सहित सुरक्षा सीमाएं लगाईं। गतिविधियों और इकट्ठा होने पर लगाए गए प्रतिबंधों ने अराधनाओं और धार्मिक समारोहों में शामिल होने की क्षमता को सीमित कर दिया है। USCIRF को कई मसजिदों के बंद होने, ईमामों और मुस्लिम लीडरों के गिरफतार होने और कैद में रखे जाने, और उग्रवादी समूहों की तरफ से धमकियों और हिंसा की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

प्रमुख अमेरिकी नीति

2019 के दौरान, संयुक्त राष्ट्र और भारत ने अपने संबंधों को सशक्त किया, विशेषकर सुरक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्रों में। दिसंबर में, दोनों सरकारों ने 2+2 मंत्रालय वार्तालाप के दौरान प्रतिरक्षा टेक्नोलोजी ट्रांसफर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रपति डॉनल्ड जे. ट्रंप और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन, टेक्सास में एक साथ सितंबर के "हाउडी मोदी" इवेंट में नज़र आए थे जिस दौरान राष्ट्रपति ने इस संबंध की प्रशंसा की थी। इन सकारात्मक सुधारों के बीच, अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक बयानों, कांग्रेस की सुनवाईयों, और द्विपक्षीय सहभागिताओं के माध्यम से भारत द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों की चिंताओं को चिन्हित किया है। अक्तूबर में, अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता प्रमुख राजदूत सैमुअल डी. ब्राउनबैक भारत गए। लेकिन, भारतीय सरकार ने राज्य विभाग और USCIRF द्वारा भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों की रिपोर्टिंगों को अस्वीकार करना जारी रखा।

कमिश्नर गैरी एल. बुयर के व्यक्तिगत विचार

मैं अनिवार्य रूप से मेरे साथी कमिश्नरों को भारत, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, को "विशेष चिंता के देश", या CPC के रूप में चिन्हित करने के फैसले के साथ असहमत हूँ जिस से भारत दुष्ट देशों के समूह में आ जाएगा जो कि यह नहीं है।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की प्रवृत्ति रेखा आश्वस्त करने वाली नहीं है। पर भारत साम्यवादी चीन के समान नहीं है, जो सभी धार्मिक निष्ठाओं पर आक्रमण करता है; ना ही यह उत्तरी कोरिया के समान है, जो कि देश का वेष धारण किए एक कैद है; ना ही यह ईरान के समान है जिसके उग्रवादी इस्लामी लीडर लगातार एक दूसरे सर्वनाश की शुरुआत करने की धमकी देते रहते हैं।

भारत हमारा मित्र है। एक नया लोकतंत्र, इसने अभी 1947 में ही शासक स्वतंत्रता प्राप्त की है। मैं आशा और अराधना करता हूँ कि भारत के लीडर धार्मिक निष्ठा के आधार पर अपने किसी भी नागरिक को दंड देने या प्रतिबंधित करने के प्रयोजन को रोकेंगे। संयुक्त राष्ट्र को भारत के साथ सभी द्विपक्षीय वार्तालापों और सौदेबाज़ियों में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए, जैसा कि सभी मित्र देश करते हैं। मैं इस बात से गंभीर रूप से चिंतित हूं कि इस सार्वजनिक निंदा के परिणामस्वरूप हम सब की इच्छा के विपरीत नतीजा निकलने का जोखिम है।

अंत में, हमारी स्थितियों के बारे में कुछ शब्द। आजकल, अधिक मात्रा में, राष्ट्रों के राज्य शासन-प्रणाली की दो बिलकुल विपरीत दूरदर्शिताओं के बीच एक मौलिक विकल्प का सामना कर रहे हैं।

एक यह स्वीकार करता है कि सभी मानवों की बराबर प्रतिष्ठा, मूल्य और महत्व है। संयुक्त राष्ट्र समझता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब भगवान की ही छवि हैं। इस दूरदर्शिता का पालन करने वाले देश सबसे अधिक मौलिक स्वतंत्रता - धर्म की स्वतंत्रता के सहित स्वतंत्रता में भरोसा रखते हैं।

साम्यवादी चीन आक्रमक ढंग से एक विकल्प को प्रोत्साहित करता है जिसमें कुछ आर्थिक स्वतंत्रता की अनुमति है लेकिन माँग करता है कि हृदय और आत्मा की बाकी सारी निष्ठाओं की जगह राज्य के प्रति निष्ठा ले ले।

मुझे विश्वास है कि भारत किसी भी सत्तावादी फुसलाव के लिए अस्वीकार करेगा और धार्मिक स्वतंत्रता के सहित स्वतंत्रता की रक्षा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्वतंत्र देशों के साथ खड़ा होगा।

कमिश्नर तेंज़िन दोर्जी के व्यक्तिगत विचार

मैं CAA के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि सभी पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ समान व्यवहार किए के जाने के पात्र हैं। मैं इस अनुशंसा से भी असहमत हूँ कि भारत को "विशेष चिंता के देश", या CPC के रूप में चिन्हित किया जाए। भारत चीन और उत्तरी कोरिया जैसे सत्तावादी प्रशासनों की श्रेणी में शामिल नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है, जहाँ विपक्ष की कांग्रेस पार्टी और कानून निर्माताओं, सभ्य समाज, और कई समूहों के द्वारा CAA का खुल कर विरोध किया गया। सामान्य रूप से, प्रेस ने स्वतंत्र रूप से दोनों CAA विरोधी और समर्थक आवाज़ों की खबरें दी हैं और केरल जैसे राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने CAA को लागू ना करने का निर्णय लिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को देश की वैधानिकता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। भारत एक स्वतंत्र और खुला लोकतांत्रिक समाज है जो सभी संभावनाओं के लिए अनुमति देता है; इसलिए, भारत एक CPC देश नहीं है।

भारत एक प्राचीन, कई धार्मिक निष्ठाओं वाली सभ्यता है जहाँ अधिकांश भाग में कई शताब्दियों से विभिन्न धार्मिक निष्ठाओं वाले समूह सम्मानपूर्वक और शांतिपूर्वक ढंग से एक साथ रहे हैं। मैं भारत के अत्यंत दुखदायी अंतर-धार्मिक विवादों और बंटवारे से बेखबर नहीं हूँ। लेकिन, जैसे कि प्रमुख स्त्रोतों ने सूचनाएँ दी कि CAA के संबंध में हिंसा के दौरान भी, सिक्खों, मुस्लिमों, और हिंदूओं ने गिरोह हिंसा से एक दूसरे के घरों और पूजनीय स्थलों की सुरक्षा की और अंतर-मज़हबी समारोहों का आयोजन किया। तिब्बती शरणार्थियों के रूप में, हमने भारत में संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लिया जो कि तिब्बत और चीन में अस्तित्वहीन है। हाल ही में, मैं भारत में प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थलों की निजी तीर्थयात्रा पर था और मैंने हिदूओं, मुस्लिमों, और अन्य धर्मों का पालन करने वाले लोगों को उनके पूजनीय स्थलों, दुकानों, और घरों में धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए देखा। भारत और संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार हैं। कमिश्नर के रूप में मेरी तरफ से USCIRF से विदायगी लेते हुए, मैं इस बात की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ कि भारत, अमेरिकी सरकार, और USCIRF आपस में धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के सहित पारस्परिक हितों के लिए रचनात्मक सहभागिता करें।

कमिश्नर जॉहनी मूर के व्यक्तिगत विचार

मैं इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हूँ कि राजनीतिक और अंतर-सांप्रदायिक संघर्ष, धार्मिक तनावों से और अधिक बढ़ जाएगा, फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि भारत एक प्राचीन संविधान द्वारा शासित विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो एक प्राचीन संविधान द्वारा शासित है, और मैं इस बात से भी प्रोत्साहित हूँ कि यह महान राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का ज़बर्दस्त मित्र और सहयोगी है। यह एक ऐसा देश भी है जो कि भिन्नता की परिभाषा है। मेरी आशा और मेरी अराधना है कि भारत का अभी भी युवा और खुला लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को उनके धार्मिक और राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना इन चुनौतियों के दौरान और भी अधिक उज्जवल भविष्य को राह देगा। मैं भारत के संस्थानों से आशा करता हूँ कि वे भारत को वर्तमान समय से बाहर निकालने के लिए इसके समृद्ध इतिहास का प्रयोग करेंगे। भारत वो देश भी है जिसे मैंने अपने समस्त यौन जीवन में प्रेम किया है। यह एक ऐसा देश है जिसे मैं इसकी अनेकता और मेरी कई यात्रायों (वाराणसी, पुरानी दिल्ली, अमृतसर, धर्मशाला, आगरा, अजमेर, हैदराबाद, कोलकाता, पूरे केरल और कई अन्य स्थानों पर जोशपूर्ण धार्मिक स्थानों पर यात्रायों के माध्यम से) के माध्यम से स्वयं मेरे जीवन पर होने वाले इसके परिवर्तनकारी प्रभाव के कारण प्रेम करता हूँ।